श्रीमान आर. एस शर्मा महोदय,
अध्यक्ष TRAI,
महानगर दूरसंचार भवन,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग,
नई दिल्ली - 110002

विषय :- दिनांक 01-01-2020 से IUC जारी न रखने के संदर्भ में

महोदय,

हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप अपने 01-01-2020 से IUC जारी न रखने के निर्णय के साथ अडिग रहें।

IUC ने अपने ऑन-नेट तथा ऑफ-नेट की भिन्न-भिन्न दरों के साथ अवांछनीय हलचल उत्पन्न कर दी है। यह हमसे हमारी ऑपरेटर चुनने की स्वतंत्रता को छीनता है और हमें वही ऑपरेटर चुनने के लिए बाध्य करता है जिसे हमारे करीबी, हमारे परिवार वाले के लिए वाले इस्तेमाल करते हैं अथवा हमें उनके लिए वही आपरेटर चुनने के लिए बाध्य करता है ताकि हमें ऑफ नेट कॉल भुगतान न करना पड़े।

जब भारत सरकार द्वारा "एक भारत" अभियान पहले ही प्रारंभ किया जा चुका है तो हम इतने उच्च ऑफ कॉल नेट कॉल का भार क्यों सहें।

हम कॉल करते समय इस बात का ध्यान आमतौर पर नहीं रखते कि विपक्ष ऑपरेटर कौन सा है या यह कॉल कितनी लागत की होगी। हम TRAI से पूछना चाहते हैं कि क्या हम जिस ऑपरेटर पर हम कॉल कर रहें (विपक्ष) उसकी अपेक्षा एक निश्चित कॉल दर रखना अनुचित नहीं होगा।

हमारा मानना है कि इस जटिलता और परि पारदर्शिता की कमी की वजह IUC है जिसे आम जनता को सहना पड़ रहा है। अतः आपसे पुनः विनम्र निवेदन है कि अपने आप अपने 01-01-2020 से IUC जारी न रखने के निर्णय के साथ बने रहें ताकि संपूर्ण भारत में कॉल दरों की एकरूपता बनी रहे।

सधन्यवाद,

हेमन्त शर्मा
मो. न. 9079132141
D-135, सावदा कॉलोनी
घेवरा मेट्रो स्टेशन के नजदीक,
दिल्ली - 110081